रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 455] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 26, 1983/अग्रहायण 5, 1905
No. 455] NEW DELHI, SATURDAY, NOV. 26, 1983/AGRAHAYANA 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 26 नवम्बर, 1983

सं. 314/83-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 862(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

इससे उपाबद्ध सारणी में उल्लिखित विनिर्देशों वाली और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 73.17/19 के अंतर्गत आने वाली स्टेनलेस स्टील की सीवनहीन मदर पाइपों को, जब उनका स्टेनलेस स्टील की ट्यूबों और पाइपों के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के 60 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है ।

सारणी

स्टेनलेस स्टील की सीवनहीन मदर पाइपों के विनिर्देश :—

(1) बाहरी परिधि —30 मि.मी. से 200 मि मी., और

(2) दीवार की मोटाई—2.50 मि. मी. से 12.00 मि. मी. ।

[फा. सं. 355/139/82-सीशु-1]

एन. शशिधरन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 1983

No. 314|83—CUSTOMS

G.S.R. 862(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts stainless steel seamless mother pipes having specifications mentioned in the Table annexed hereto and falling under Heading No. 73.17|19 of the First Scheme to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of stainless steel tubes and pipes, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of 60 per cent ad valorem.

TABLE

Specifications of stainless steel seamless mother pipes

(1) Outer diameter	—	30 mm to 200 mm, and
(2) Wall thickness	—	2.50 mm to 12.00 mm.

[F. N. 355/139/82-Cus-I.]

N. SASIDHARAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1983